

मध्यप्रदेश विधान सभा

चून - अगस्त, 1991 सत्र

वैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई, 1991 (श्रावण १, 1913)

समय 10.30 बचे

1- प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) सर्वश्री मोतीलाल बोरा, विश्वभरनाथ पाण्डेय, कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, सदस्य शासन द्वारा संग्रहीत तेज्जपता सही कीमत एवं मात्रा में नहीं बिक पाने से शासन को ही रही हानि की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम दराना में बलात्कार पीड़ित आदिवासी महिला द्वारा आत्महत्या की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला, सदस्य, बिलासपुर जिले के कोटा विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में खाद्यात्र एवं खाद्य तेल की आपूर्ति न हो पाने की ओर राज्य मंत्री, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री कन्हैयालाल दोलेकर, सदस्य, बैनूल जिले के अनेक ग्रामों में घटित डैकेटी की घटनाओं की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

निर्धारित समय

3- शासकीय विधि विषयक कार्य.

2 बच्चे श्री भेरुलाल पाटीदार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यमों से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन विधेयक, 1991 (क्रमांक 16 सन् 1991) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

4- नियम 139 के अधीन अधिलमन्त्रीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

1 बच्चा (1) बालाघाट जिले में नक्सलबादियों द्वारा की जा रही अपराधिक गतिविधियों के संबंध में 30 मिनिट सर्वश्री मोतीलाल बोरा, चन्द्रशेखर साहू सदस्य चर्चा उठायेंगे।

1 बच्चा (2) प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में कषकों को खाद्य एवं बीज उपलब्ध न हो पाने के संबंध में सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान/राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल/नन्द किशोर खत्री/मदन लाल त्यागी सदस्य चर्चा उठायेंगे।

भोपाल :

दिनांक 29 जुलाई, 1991

विश्वनन्द मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा